for part-time education to out of school children in the age group of 6-14 years, who are not in a position to attend formal schools due to various socio-economic and cultural constraints. The scheme is essentially meant for ten educationally backward States. However, it also covers urban slums, hilly, desert and tribal areas and areas of concentration of working children in all other States/UTs.

Government of Maharashtra has not availed of financial assistance under the scheme. However, a number of Voluntary Agencies (VAs) are implementing the NFE scheme in Maharashtra. Details of grants released to them during the last three years are given below:

YEAR	NO. OF VAS	NO. OF CENTRES SANCTIONED	GRANT RELEASED (Rs. in lakhs)
1993-94	57	2225	101.91
1994-95	44	1825	98.01
1995-96	49	1900	128.58

The NFE Programmes being implemented by 34 voluntary agencies in the State have been evaluated by joint Evaluation Team consisting of the Field Adviser, NCERT, a representative of the State Government and a representative of a renowned voluntary agency. These include NFE programmes of 4 voluntary agencies in the Vidarbha region.

गन्ने की किस्म में सुधार लाने हेतु योजना

438. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने की किस्म में सुधार लाने तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाने के संबंध में कोई योजनाएं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में गन्ने की किस्म राष्ट्रीय दृष्टि से भी घटिया होने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में गन्ने के संबंध में किये जा रहे कृषि अनुसंधान की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां। तथापि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के लिए ये स्कीमें सीमित स्वरूप की हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर तथा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ गन्ने से चीनी की प्राप्ति की मात्रा में सुधार लाने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना भी देश के 20 केन्द्रों में चल रहा है, जिसका मुख्यालय भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है। चीनी की अधिक उपज देने वाली किस्में, जैसे-को०- 86032, को०-87025, को०-87044, को०-87263 तथा को०एल०के० 7901 पहचानी गई हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा 1995-96 से उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 20 राज्यों में प्रचालन हेतु "गन्ना आधारित फसल पद्धति के सतत विकास" की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम में बीज उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाता है।

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की क्वालिटी, प्राप्त होने वाली चीनी की प्रतिशतता के रूप में तुलनात्मक रूप से घटिया है। इसका कारण जैविक (रोग एवं नाशी जीव) और अजैविक (सूखा एवं जलप्लवता) दबाव तथा साथ ही चीनी मिलों में, विशेषकर बिहार में, पुरानी और अप्रचलित मशीनरी का होना है।

(ग) गन्ने से संबंधित कृषि अनुसंधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(1) विभिन्न वर्गों के लिए अधिक उपज/अधिक चीनी वाली किस्मों का उत्पादन करना।

(2) उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाल गलन, मुरझान, अगोला बेधक तथा उष्णकटिबंधीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए मुरझान, कंडुवा एवं लाल गलन (विशेषकर आन्ध्र प्रदेश तथा केरल में) रोग प्रतिरोधी किस्म के लिए उत्पादन करना।

(3) समेकित नाशी जीव प्रबंध सहित उत्पादन विधियों के स्थान विशिष्ट पैकजों का विकास करना।

(4) परम्परागत तथा सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीकों का उपयोग करके अच्छे बीज का उत्पादन करना।

(5) उत्पादकों के अधिक लाभ के लिए उत्पादकता में सुधार हेतु फसल प्रणाली पर अनुसंधान करना।

(6) पेड़ी (रैटून) प्रबन्ध में सुधार करना।

(7) विवस तथा सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग के जरिए विशेष रूप से जल तथा उर्वरक के निवेश-उपयोग की सक्षमता में सुधार करना।

(8) अल्प-अनुकूल (कम उर्वरक तथा मानसून से पहले एक सिंचाई) स्थितियों के लिए तथा सूखा एवं जललग्नता को सहन करने वाली किस्मों के उत्पादन तथा उनकी पहचान का काम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर में शुरू किया गया है।

Implementation of Delhi School Education ACT, 1973

*439. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Delhi School Education Act, 1973, enacted to end exploitation of teachers in Delhi schools, is being violated by making term appointments of teachers on contract with fixed emoluments, and denial of regular pay scales and allowances;

(b) if so, the steps proposed to the taken by Government to safeguard the interests of the teacher community in Delhi; and

(c) if Government have not yet initiated any action in the matter, the reasons therefor and by when the Delhi School Education Act, 1973 will be implemented in letter and spirit?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) to (c) Delhi School Education Act, 1973 provides for the recruitment and sets of terms and conditions of service of teachers employed in recognised schools of Delhi. Whenever any complaints of violation of these conditions of service are received, action by the appropriate authority, after due enquiry, is taken against the management of such schools under the various provisions of the Act. This is a regular and continuing process.

Government of NCT of Delhi have intimated that contract appointments have been made in their Government schools for a limited period from among the retired teachers in the interest of students so that their studies do not suffer because of time gap between creation and filling up the posts by regular incumbents.

Recruitment of teachers in Government schools is not covered by the Delhi School Education Act.

महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों को प्रदूषण-रहित बनाने हेतु योजना

*440. **चौधरी बुद्धी लाल:**
श्री नरेन्द्र मोहन:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार ने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जल, वायु और ध्वनी के प्रदूषण से मुक्त करने हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों का योगदान क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): सरकार ने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करने हेतु कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। तथापि, धार्मिक महत्व के कतिपय नगरों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, गंगा कार्य योजना चरण-I तथा गंगा कार्य योजना-II के तहत् नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। गंगा कार्य योजना चरण- II तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत योजनाओं के कार्यों पर खर्च होने वाली पूंजीगत लागत केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन करती हैं जबकि गंगा कार्य योजना चरण-I पूर्ण रूप से केन्द्रीय वित्त-पोषित योजना है।

देश में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए किये गये उपायों के संबंध में एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।